



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404]
No. 404]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 2000/ज्येष्ठ 26, 1922
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2000/JYAISTHA 26, 1922

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2000

का०आ० 575(अ).—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 41) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुये प्राधिकरण ने अधिसूचना संख्या का.आ. 490 (ई) दिनांक 24 मई, 2000 के द्वारा बीमा सलाहकार समिति का गठन किया।

अतः अब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 (1999 का 41) की धारा 25 की उप धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राधिकरण, प्राधिकरण सं. का. आ. 490 (ई) दिनांक 24 मई, 2000 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना में :—

(क) क्रम सं. 13 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिये, निम्नलिखित क्रम सं. प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“13. अध्यक्ष, बंगाल चेम्बर ऑफ कामर्स, कलकत्ता।

(ख) क्रम सं. 17 में प्रविष्टियों, शब्दों तथा अक्षरों “श्री सौमिल मेहता” के स्थान पर “श्री साउमल मेहता” शब्दों तथा अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ग) क्रम सं. 18 में “श्री ओ.पी. त्यागी” शब्दों तथा अक्षरों के स्थान पर “श्री ए.के. त्यागी” शब्दों तथा अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(घ) क्रम सं. 23 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्र. सं. तथा प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

“24. श्री वी.के. भसीन, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय”

[फा. सं. आई.आर.डी.ए./आई.ए.सी./1/2000]

एन. रंगाचारी, अध्यक्ष

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2000

S.O. 575(E).— WHEREAS, the Authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 has established an Insurance Advisory Committee by Notification No. S.O. 490(E) dated the 24th May, 2000;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority hereby makes the following amendments in the notification of the Authority No. S.O. 490(E) dated the 24th May, 2000, namely:-

In the said Notification,-

(a) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number shall be substituted, namely:-

“13. The President, Bengal Chamber of Commerce and Industry, Calcutta.”;

(b) in the entries against serial number 17, for the words and letters “Mr. Soumil Mehta”, the words and letters “ Mr. Saumil Mehta” shall be substituted;

(c) in the entries against serial number 18, for the words and letters “Mr. O.P. Tyagi”, the words and letters “Mr. A.K. Tyagi” shall be substituted;

(d) after serial number 23 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“24. Mr. V.K. Bhasin, Joint Secretary & Legislative Counsel, Legislative Department, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Government of India”;

[F. No. IRDA/IAC/1/2000]

N. RANGACHARY, Chairperson